

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1983/पौष 17, 1904
No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1983/PAUSA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1983

सा.का.नि. 16 (अ) :—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक
(नियन्त्रण) आदेश, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश
करती है, अर्थात्—

1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश,
1983 है।

- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में खण्ड 19 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“19. राज्य सरकार और/या केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त व्यक्तियों को, जितने वह आवेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है, उर्वरक निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकती और ऐसी किसी अधिसूचना में वह स्थानीय क्षेत्र परिनिश्चित कर सकती, जिसके भीतर प्रत्येक ऐसा निरीक्षक अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।”

[सं. 13-2/82-एस. टी. यू. 1]

एम. एस. चहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1983

G.S.R. 16(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government makes the following Order to further amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely :—

1. (i) This Order may be called the Fertiliser (Control) (Amendment) Order, 1983.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order 1957, for clause 19, the following clause shall be substituted, namely :—

“19. The State Government and/or the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such number of persons as it/they think necessary to be Inspectors of fertilisers for the purpose of the Order and may in any such notification define the local area within which each such Inspector shall exercise his jurisdiction.”

[No. 13-12/82-STU]

M. S. CHAHAL, Jt. Secy.